राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

2014–2015

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

राजस्थान, जयपुर

विवरणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	एक परिचय	1
2.	विभाग की स्थापना एवं गठन	2
3.	वर्ष 2014–15 की उपलब्धियाँ	3
4.	अभाव स्थिति	6
5.	मानसून की स्थिति	6
6.	अतिवृष्टि/बाढ़ की स्थिति	7
7.	ओलावृष्टि की स्थिति	7
8.	गौशाला अनुदान	7
9.	असहाय सहायता	8
10.	अग्नि पीड़ितों को सहायता	8
11.	राजस्थान राहत कोष	8
12.	राज्य/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि	8

क्र.सं.	परिशिष्ट	पृष्ठ संख्या
1.	प्रशासनिक ढ़ांचा	10
2.	विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची	11
3.	स्वीकृत पदों की स्थिति	12
4.	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	13
5.	राज्य कार्यकारिणी समिति	14
6.	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	15
7.	वित्तीय वर्ष 2014–15 में खोज एवं बचाव मद में स्वीकृत राशि का विवरण	16
8.	क्षमता संवर्धन योजना में वर्ष 2014–15 मे स्वीकृत राशि	17
9.	राज्य आपदा मोचन निधि/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि अन्तर्गत बजट प्रावधान व व्यय	19
10.	क्षमता संवर्धन में प्राप्त व्यय की स्थिति	20
11.	अकाल राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की स्थिति	21
12.	अन्य अकाल राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की स्थिति	22
13.	आपदावार नोडल विभागों की सूची	23
14.	अभाव की स्थिति	24
15.	वर्षा की स्थिति	26
16.	भूकम्प प्रभावित क्षेत्र	27
17.	सूखा प्रभावित क्षेत्र	28
18.	सहायता के मापदण्ड	29

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

एक परिचय

राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग रेगिस्तानी एवं कम वर्षा वाला है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 685.48 लाख है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 515.00 लाख है तथा शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 170.48 लाख है। जनसंख्या का औसत घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य की जनसंख्या का लगभग 75.13 प्रतिशत ग्रामीण व 24.87 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। राज्य के थार मरूस्थल के अन्तर्गत 12 जिलों का 60 प्रतिशत भू–भाग आता है जिसमें राज्य की लगभग 40 प्रतिशत जनता निवास करती है।

राज्य में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। राज्य की जलवायु अर्द्ध शुष्क से शुष्क के मध्य है। राज्य में देश के कुल भू–भाग का 10.4 प्रतिशत जबकि कुल जल संसाधन का केवल 01 प्रतिशत भाग ही विद्यमान है। उत्तर–पश्चिमी रेतीले भाग में कृषि के साथ–साथ पशुपालन भी काफी महत्वपूर्ण है। 2012 की पशुगणना के अनुसार राज्य में 5.77 करोड पशुधन हैं जो कि देश की कुल पशु संख्या का 11.27 प्रतिशत है।

राजस्थान के निवासियों को किसी न किसी रूप में लगभग हमेशा ही अकाल का सामना करना पड़ता रहा है। राजस्थान बनने के पश्चात केवल वर्ष 1959–60, 1973–74, 1975–76, 1976–77, 1990–91 व 1994–95 को छोड़कर अन्य वर्षो में अकाल की स्थिति राज्य के किसी न किसी भाग में कमोबेश लगातार विद्यमान रही है।

वर्ष 2012–13 के समंकों के अनुसार प्रदेश में कुल बोये गये 23,954 हजार हैक्टेयर भूमि में से 9,455 हजार हैक्टेयर ही सिंचित भूमि है। राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र की 72.83 लाख हेक्टेयर (97.12 प्रतिशत) भूमि कुओं, ट्यूबवेलों तथा नहरों से सिंचाई की जाती है। प्रदेश के उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रों में कुओं में जलस्तर 300 फुट नीचे है। राज्य के जैसलमेर, बाडमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिलों में 500 फुट तक गहरे कुए खोदने पर भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है तथा कुछ जगह पानी फ्लोराइड युक्त व खारा भी है जो कि सिंचाई एवं पेयजल हेतु उपयुक्त नहीं होता है। राज्य की 75 प्रतिशत खेती वर्षा पर निर्भर रहती है। राज्य के अधिकतर क्षेत्र में सिंचाई कुओं से होती है तथा कम वर्षा के समय अक्सर कुएं सूख जाते हैं अथवा जलस्तर बहुत नीचे चला जाता है। समय पर पर्याप्त वर्षा न होने के कारण खरीफ व रबी दोनों ही फसलें खराब हो जाती है।

विभाग की स्थापना एवं गठन

सहायता विभाग की स्थापना राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.10.1951 के द्वारा सहायता आयुक्त के कार्यालय की स्थापना के साथ हुई। पूर्व में राहत संबंधी कार्य राजस्व विभाग के अधीन एक शाखा द्वारा सम्पन्न किये जाते थे। दिनांक 30.4.62 को अकाल संहिता तैयार की गई तथा सहायता विभाग ने उसके अनुसार कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। इसी वर्ष से दोनों विभाग अलग होकर सहायता विभाग का एक अलग अस्तित्व कायम हुआ। वर्ष 1963–64 एवं वर्ष 1964–65 में राज्य में भंयकर सूखे की स्थिति से मुकाबला करने के लिए सहायता विभाग का पूर्ण विस्तार हुआ।

गुजरात राज्य में आये भूकम्प दिनांक 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा संकट प्रावधान व्यवस्था (Crisis Management) के बजाय जोखिम प्रावधान व्यवस्था (Risk Management) की नीति अपनाई गई है जिसके अनुसरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.12.02 में दिये गये दिशा निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 30.10.03 से सहायता विभाग का नाम बदल कर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग कर दिया गया हैं।

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान सरकार का एक स्थायी विभाग है, जो शासन सचिव एवं आयुक्त, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता के अधीन कार्य करता है। इस विभाग का मुख्यालय राज्य स्तरीय है। राज्य में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रबन्धन एवं प्रभावितों को राहत प्रदान करने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है। राहत एवं बचाव कार्य विभिन्न विभागों/संस्थानों के माध्यम से सम्पन्न कराये जाते हैं। जिला कलक्टर तथा विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यो के नियंत्रण, क्रियान्वयन एवं समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 राज्य में अगस्त 1, 2007 से लागू होने के फलस्वरूप विभाग के कार्य में व्यापक दृष्टिकोण एवं नये परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन के कार्य, जिसमें आपदा से बचाव व राहत प्रदान करने के स्थान पर आपदा पूर्व योजनाबद्ध तरीके से रोकथाम के उपाय, आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय एवं इस सम्बन्धी सभी अग्रिम आवश्यक तैयारियाँ करना और आपदा आने पर बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्य प्रभावशाली तरीके से संचालित करना है।

विभाग के प्रशासनिक गठन का ढांचा **परिशिष्ट–1,** विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट–2,** विभाग में स्वीकृत पदों की सूची **परिशिष्ट–3** पर दर्शायी गयी है। जिला स्तर पर जिला कलक्टर सहायता गतिविधियों का नियंत्रण, प्रतिपादन एवं समन्वय करते हैं।

विभागीय निर्देशों, गतिविधियों एवं प्रगति की आदिनांक जानकारी विभाग की वेब साइट http://www.rajrelief.nic.in पर उपलब्ध है।

वर्ष 2014–2015 (दिसम्बर, 2014 तक) की उपलब्धियाँ

- वर्ष 2014–15 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.07.2014 को आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2013–14 (सम्वत 2070) में राज्य के 22 जिलों में ओलावृष्टि से फसलों में 50 प्रतिशत या इससे अधिक का नुकसान होने पर प्रभावितों को राहत प्रदान करने हेतु दिनांक 28.02.2014 को जारी राहत पैकेज के अन्तर्गत प्रभावित काश्तकारों के 4 माह के बिजली के बिल माफ करने, कृषि आदान अनुदान प्रदान करने तथा आबियाना शुल्क माफ करने आदि का कार्योत्तर अनुमोदन, अभाव घोषणा के पश्चात उक्त जिलों में चारा परिवहन अनुदान, गौशाला/पशुशिविर संचालन, पेयजल परिवहन, अल्पकालीन फसली सहकारी ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन, अनुग्रह सहायता, भूराजस्व वसूली स्थगित आदि राहत गतिविधियों के संचालन का अनुमोदन, अभावग्रस्त जिलों की अभावग्रस्त क्षेत्रों एवं गैर अभावग्रस्त क्षेत्रों की समस्त पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को अनुदान दिये जाने हेतु लिये गये नीतिगत निर्णय का अनुमोदन, जिलों में अभावग्रस्त राजस्व ग्रामों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक होने पर सम्पूर्ण जिले में एवं घोषित राजस्व ग्रामों की संख्या 25 प्रतिशत से कम होने पर केवल अभावग्रस्त ग्रामों में ही पेयजल परिवहन व्यय राज्य आपदा मोचन निधि से करने का कार्योत्तर अनुमोदन, आपदा प्रबन्धन अधिनियिम, 2005 की पालना में राज्य में वर्तमान आपदा प्रबन्धन नीति जनवरी, 2007 में परिवर्तन की आवश्यकता के फलस्वरूप तैयार की गई नई नीति के प्रारूप का पूर्ण परीक्षण करने पर राज्य कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाकर राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया गया एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 23 के अन्तर्गत विभाग द्वारा तैयार राज्य आपदा प्रबन्धन योजना के प्रारूप को राज्य कार्यकारी समिति के द्वारा अनुमोदन किया जाकर राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा भी अनुमोदन किया गया।

- वर्ष 2014–15 में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 12.05.2014 व 12.06.2014 को आयोजित की गई, जिसमें सम्वत 2070 में अभावग्रस्त जिलों में राहत गतिविधियों यथा पेयजल, अनुग्रह राशि, पशु संरक्षण गतिविधियां आवश्यकता होने पर 30 दिन से 60 दिन एवं 60 दिन से 90 दिन या अभाव अवधि 31 जुलाई, 2014 जो भी पहले हो तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

- वर्ष 2014–15 में राज्य में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनरूद्धार हेतु प्राप्त प्रस्तावों को एसडीआरएफ के नये नोर्म्स के अन्तर्गत स्वीकृत करने का अनुमोदन किया गया।

- राज्य में अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त हुये मकानों की मरम्मत हेतु 11 जिलों के प्रभावित व्यक्तियों को सहायता दिये जाने हेतु 932.86 लाख रुपये का बजट आवंटन किया गया है।
- राज्य में अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं में जलने, डूबने तथा मकान ढहने से मृतकों के परिजनों को एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार 1.50 लाख रुपये प्रति व्यक्ति सहायता प्रदान की गयी है।
- आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 लागू होने के उपरान्त यह आवश्यक हो गया है कि राज्य आपदा प्रबन्धन नीति में आवश्यक संशोधन समाहित किये जायें एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नीति का निर्धारण किया जाये। अतः अधिनियम की धारा 18 की पालना में संशोधित आपदा प्रबन्धन नीति तैयार की जाकर लागू कर दी गई है।
- राज्य में खोज, बचाव व संचार व्यवस्था को विकसित किये जाने तथा आपातकालीन उपकरणों के क्रय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अभी तक रुपये 769.87 लाख की राशि स्वीकृत की गई। जिसका विवरण **परिशिष्ट संख्या–7** पर उपलब्ध है।
- क्षमता संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण, ईओसी सुदृढ़ीकरण तथा आपदा प्रबन्धन योजनाओं को अद्यतन/तैयार करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल रुपये 481.51लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई, जिसका विवरण **परिशिष्ट संख्या–8** पर उपलब्ध है।
- आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 23 की अनुपालना में भारत सरकार के निर्देशानुसार विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाकर लागू कर दी गई है।
- अनुच्छेद 31 की अनुपालना में अधिकांश जिलों की जिला आपदा प्रबन्धन योजनाओं को वर्ष 2012 के लिये आदिनांकित किया जा चुका है।
- आपदाओं के प्रबन्धन में संसाधनों व जन शक्ति की उपलब्धता के सम्बन्ध में जानकारी India Disaster Resource Network (IDRN) वेब साइट के माध्यम से समय–समय पर जिलों द्वारा अद्यतन की जा रही है।
- भारत सरकार को आपदा प्रबन्धन की वर्ष 2013–14 की वार्षिक रिपोर्ट भिजवा दी गई है।
- वर्ष 2014 में ओलावृष्टि एवं पाला/शीतलहर से प्रभावित 22 जिलों यथा अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बारां, बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, जयपुर, झालावाड़, झुन्झुनूं, जोधपुर, कोटा, करौली, नागौर, स0माधोपुर, टोंक

एवं सीकर में रबी फसलों में 50 प्रतिशत या उससे अधिक खराबा होने पर 6.87 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया। सम्वत 2070 के अन्तर्गत रबी फसल खराबे पर प्रभावित कृषकों के लिए वर्ष 2014–15 में कृषि आदान अनुदान 441.73 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया।

- विभाग द्वारा आपदा प्रबन्धन के क्रम में जिला व राज्य स्तर के मध्य पत्राचार व बजट आवंटन की प्रक्रिया सरल व त्वरित करने की दृष्टि से एक वेब आधारित कम्प्यूटर एप्लीकेशन राजकॉम्प के माध्यम से तैयार करवायी गई है। इस वेब एप्लीकेशन के माध्यम से जिलों द्वारा विभिन्न गतिविधियों हेतु मदवार ऑनलाइन डिमाण्ड की जाती है जिसकी विभाग समीक्षा कर आगामी दो दिवस में ऑनलाइन बजट आवंटन करता है। इसके अतिरिक्त विभाग विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट, आवंटन–व्यय पर नियन्त्रण, एसी–डीसी बिलों की प्रगति आदि की सूचना भी इसी वैब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। इस वेब एप्लीकेशन को और अत्यधिक सूचनावर्धक व उपयोगी बनाने हेतु समय–समय पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। IFMS के साथ इसका Integration भी किया जा चुका है।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत बीकानेर तथा अलवर जिले के 200–200 स्कूलों का चयन किया गया है। भारत सरकार से प्राप्त राशि रूपये 1,51,89,306 का हस्तांतरण माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को कर दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा इस कार्यक्रम की क्रियान्विति की जा रही है।

- सम्वत 2070 में सूखा प्रभावित 17 जिलों यथा अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाडमेर, बारां, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, जोधपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा, जैसलमेर, झालावाड़, नागौर, पाली एवं बून्दी में खरीफ फसल खराबा होने पर राज्य सरकार द्वारा कृषि आदान अनुदान के रूप में 25.66 लाख किसान प्रभावित हुए। सम्वत 2070 के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में क्रमशः 43,523.79 लाख एवं 34,092.65 लाख कुल 77,616.44 लाख की राशि जनवरी, 2015 तक खरीफ फसल खराबा पर कृषि आदान अनुदान के रूप में आवंटित की गई।

- उत्तराखण्ड राज्य में हुई बाढ़ त्रासदी में राजस्थान राज्य के 29 जिलों के 512 व्यक्ति मृतक एवं स्थाई रूप से लापता पाये गये। उत्तराखण्ड बाढ़ त्रासदी में लापता व्यक्तियों के विधिक वारिसों को सहायता दिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.7.2013 को राहत पैकेज जारी किया गया। जिसमें उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 5 लाख रूपये (2 लाख प्रधानमंत्री सहायता कोष से+1.50 लाख एसडीआरएफ से +1.50 लाख उत्तराखण्ड सरकार से) तथा राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5.00 लाख की अनुग्रह सहायता दिये जाने का निर्णय लिया गया। उत्तराखण्ड सरकार से राशि रूपये

5.00 लाख के विरूद्ध केवल 3.50 लाख प्रति मृतक एवं स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों की राशि प्राप्त हुई है।

- मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतक/स्थाई रूप से लापता व्यक्तियों के विधिक वारिसों को राशि रूपये 5.00 लाख एवं उत्तराखण्ड सरकार से प्राप्त राशि रूपये प्रति मृतक 3.50 लाख कुल प्रति मृतक राशि 8.50 लाख मय मृत्यु प्रमाण पत्रों सहित जिला कलेक्टर्स को प्रेषित किये जा चुके हैं।

अभाव स्थिति

विभाग की अधिसूचना क्रमांक 734–800 दिनांक 28.01.2014 द्वारा सम्वत 2070 में राज्य के 17 जिलों के 10225 गांवों को खरीफ फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया।

मानसून 2014

राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने दिनांक 03.07.2014 को प्रवेश किया एवं दिनांक 07.07.2014 को मानसून पूरे राज्य में फैल गया। राज्य के सभी भागों से दिनांक 28.09.2014 को मानसून ने विदाई ले ली।

01 जून 2014 से 30 सितम्बर 2014 तक राज्य की औसत सामान्य वर्षा 530.08 मि.मी. के विरुद्ध 529.00 मि.मी. दर्ज हुई है, जो कि सामान्य से –0.20 प्रतिशत कम है। मानसून सत्र में 1 जून, 2014 से 30 सितम्बर, 2014 तक हुई वर्षा के अनुसार जिलों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है:–

क्र.सं.	श्रेणी	नाम जिले	संख्या
1.	असामान्यवर्षा (सामान्य से 60 प्रतिशत तथा इससे अधिक)	कोई नहीं	0
2.	अधिक वर्षा (सामान्य से 20 से 59 प्रतिशत)	श्रीगंगानगर, अजमेर, नागौर, टोंक व बारां	5
3.	सामान्य वर्षा (सामान्य से (+) 19 प्रतिशत से (–) 19 प्रतिशत तक)	चूरू, जयपुर, भीलवाड़ा, जालौर, पाली, झुन्झुनूं, सीकर, हनुमानगढ़, दौसा, बून्दी, चित्तौड़गढ, डूंगरपुर, राजसमन्द, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, झालावाड़, उदयपुर एवं प्रतापगढ़	22
4.	कम वर्षा (सामान्य से (–) 20 प्रतिशत से (–) 59 प्रतिशत)	जैसलमेर, सिरोही, भरतपुर, अलवर एवं बांसवाड़ा, धौलपुर	6
5	न्यून वर्षा : (सामान्य से (–) 60 प्रतिशत व इससे कम)	कोई नही	0

मानसून अवधि दिनांक 30.9.2014 तक राज्य के वृहद एवं मध्यम व लघु (4.25 Mcum भराव क्षमता से अधिक क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 11697.10 Mcum की तुलना में 9224.35 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का 78.86 है। राज्य के छोटे बाँधों (4.25 Mcum से कम भराव क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 837.75 Mcum की तुलना में 391.09 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का 46.68 है। इस प्रकार कुल मिलाकर राज्य के सभी छोटे व वृहद बाँधों में उनकी कुल भराव क्षमता का 76.71% पानी दिनांक 30.9.2014 को भरा हुआ था।

मानूसन सत्र 2014 में राज्य में हुई वर्षा तथा गत 3 वर्षो से इसकी तुलना का जिलेवार विवरण **परिशिष्ट–15** पर उपलब्ध है।

अतिवृष्टि/बाढ़

1. वर्ष 2014–15 में जिला कलक्टर्स द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के अनुसार बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त जल संसाधन विभाग की क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों (बांध/नहर) की तात्कालिक मरम्मत हेतु कुल 10 जिलों को 248 कार्यो हेतु राशि रूपये 1,676.20 लाख की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों (सड़कों) की तात्कालिक मरम्मत हेतु कुल 07 जिलों के 1,176 कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
2. राज्य में अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं से जलने, डूबने तथा मकान ढ़हने से मृतकों के परिजनों को एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स अनुसार 1.50 लाख रूपये प्रति व्यक्ति सहायता प्रदान की गई है।

ओलावृष्टि

राज्य में वर्ष 2014 में राज्य के 22 जिले यथा अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बारां, बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, जयपुर, झालावाड़, झुन्झुनूं, जोधपुर, कोटा, करौली, नागौर, स0माधोपुर, टोंक एवं सीकर में ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से प्रभावित मृतकों, घायलों, क्षतिग्रस्त मकानों एवं पशुओं के लिये भी एस.डी.आर.एफ. मानदण्डों के अनुसार सहायता राशि एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित पैकेज के अनुसार अन्य सहायता उपलब्ध करवाई गयी।

गौशाला अनुदान

अभावग्रस्त जिलों में अभावग्रस्त एवं गैर अभावग्रस्त क्षेत्रों की गौशालाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतन्तर्गत 1,225 गौशालाओं के माध्यम से लगभग 24,358 पशुओं का संरक्षण अभाव अवधि में किया गया है।

असहाय सहायता

इसके अन्तर्गत प्रभावित जिलों के वृद्ध, असहाय एवं निराश्रित बच्चों को आधारभूत सुविधाओं हेतु असहाय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस वर्ष प्रभावित व्यक्तियों को दिनांक 31.7.2014 तक असहाय सहायता उपलब्ध करवाई गई।

अग्नि पीड़ितों को सहायता

जिला कलक्टरों को स्थायी निर्देश हैं कि अग्नि दुर्घटना से होने वाली जन–धन हानि का तत्काल सर्वे करवाकर पीड़ितों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाई जावे इसके लिए राज्य सरकार से किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2009–10, वर्ष 2010–11, वर्ष 2011–12 तथा वर्ष 2012–13 तथा 2013–14, 2014–15 में क्रमशः 369.70 लाख, 375.94 लाख, 423.67 लाख, 518.32 लाख, 472.76 लाख एवं 485.27 लाख (जनवरी, 2015 तक) रुपये की राशि अग्नि पीड़ित परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु जिलों को उपलब्ध करवाई गई।

राजस्थान राहत कोष

एस.डी.आर.एफ. में अधिसूचित आपदाओं के अतिरिक्त अन्य आपदाओं में खोज एवं बचाव कार्यो हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में रूपये 5.00 करोड़ की राशि का प्रावधान करके उक्त कोष का गठन किया गया है। इस कोष का प्रबंधन/संचालन मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। इस कोष में दिये गये अंशदान पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी में छूट का प्रावधान दिनांक 31.3.2018 तक किया गया है।

गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में रूपये 5.46 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल रूपये शून्य राशि जिलों को बचाव/राहत कार्यों हेतु उपलब्ध करवाई गई। वर्ष 2012–13 के लिये अंकेक्षण पर रूपये 7,416/– तथा वर्ष 2013–14 के लिये अंकेक्षण पर 7,416/– रूपये का व्यय किया गया।

वर्तमान में इस कोष में बचाव कार्यो हेतु रूपये 4.953 करोड़ की धन राशि उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में इस कोष में राशि रूपये 25.00 लाख उपलब्ध कराये हैं।

राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) बजट प्रावधान एवं व्यय

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशानुसार वर्ष 2009–10 के अन्त में आपदा राहत कोष (CRF) में बची राशि का स्थानान्तरण राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) में कर दिया गया है।

तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्र व राज्य सरकार के अंशदान का अनुपात पूर्व की भाँति ही 3 : 1 रखा है। वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान वर्षवार केन्द्रीय एवं राज्य अंशदान की राशि का निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :–

(राशि करोड़ रुपये)

वर्ष	भारत सरकार का अंशदान	राज्य सरकार का अंशदान	योग
2010-11	450.50	150.16	600.66
2011-12	473.02	157.67	630.69
2012-13	496.67	165.55	662.22
2013-14	521.50	173.83	695.33
2014-15	547.58	182.52	730.10
योग	**2489.27**	**829.73**	**3319.00**

वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्रारम्भ (1 अप्रैल, 2014) में प्राकृतिक आपदा कोष में एस.डी. आर.एफ. एवं एन.डी.आर.एफ. की अवशेष राशि रुपये 1,068.82 करोड़ थी। जिसमें वर्ष 2013–14 में एसडीआरएफ नॉर्म्स के अन्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त ब्याज राशि रूपये 26.28 करोड़ शामिल है। तथा अवशेष राशि के 91 दिवसीय नीलामी योग्य ट्रेजरी बिलों में निवेष से प्राप्त ब्याज रूपये 48.74 करोड़ शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये मूल बजट प्रावधान मद 2245–01 सूखा व 02 बाढ़ चक्रवात आदि के लिये 730.10 करोड़ रुपये स्वीकृत है।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.9.2012, 28.11.2013 को वर्ष 2010–15 के लिए प्रभावी राज्य आपदा मोचन निधि के नये नॉर्म्स जारी किए गये हैं।

वर्ष 2007–08 से 2014–2015 के अन्तर्गत आपदा राहत कोष/राज्य आपदा मोचन निधि की स्थिति **परिशिष्ट 9** पर एवं इस कोष के अन्तर्गत व्यय की गई राशि का विवरण **परिशिष्ट 11 व परिशिष्ट 12** पर उपलब्ध है।

सहायता के मापदण्ड

प्राकृतिक आपदा के समय दिये जाने वाले सहायता मापदण्डों का विवरण परिशिष्ट–18 अनुसार है।

– 0 –

परिशिष्ट–1

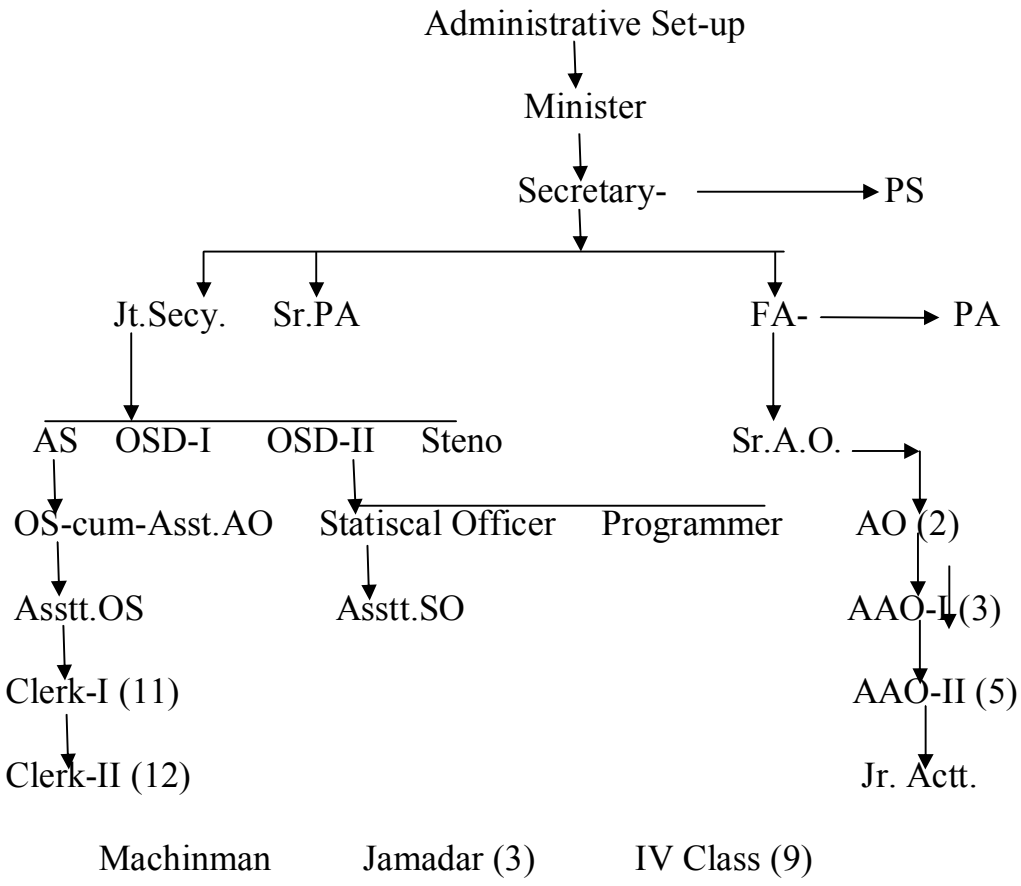
Administrative Set-up
Minister
Secretary-
PS
Jt.Secy.
Sr.PA
FA-
PA
AS
OSD-I
OSD-II
Steno
Sr.A.O.
OS-cum-Asst.AO
Statiscal Officer
Programmer
AO (2)
Asstt.OS
Asstt.SO
AAO-I (3)
Clerk-I (11)
AAO-II (5)
Clerk-II (12)
Jr. Actt.
Machinman
Jamadar (3)
IV Class (9)

परिशिष्ट–2

विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	पद नाम	नाम अधिकारी	दिनांक से विभाग में कार्यरत
1.	शासन सचिव	श्री रोहित कुमार	29.12.2014
2.	शासन विशिष्ट सचिव	रिक्त	–
3.	शासन संयुक्त सचिव	श्री रामदयाल मीणा	03.03.2014
4.	वित्तीय सलाहकार	श्री संजय सोलंकी	05.03.2014
5.	सहायक आयुक्त एवं सहायक शासन सचिव	श्रीमती ममता राव	03.03.2014
6.	विशेषाधिकारी (2)	रिक्त	19.06.2013 से
		श्री बिजेन्द्र सिंह	30.03.2011
7.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	रिक्त	
8.	लेखाधिकारी	श्री सीताराम गुप्ता	18.08.2010
9.	लेखाधिकारी	श्री सूरजमल कोली	6.01.2010
10.	सांख्यिकी अधिकारी	श्री राकेश चन्द्र भार्गव	27.10.2014
11.	सहायक लेखाधिकारी(4)	श्री हीरा लाल शर्मा	10.04.2012
		श्री मालचन्द मीणा	6.01.2011
		श्री बाबू लाल जैन	23.01.2009
		श्री राजेश कटारा	21.9.2010
12.	प्रोग्रामर	श्री मुकेश कुमार वर्मा	28.03.1994

परिशिष्ट–3

स्वीकृत पदों की स्थिति

क्र.स.	पद नाम	पदों की संख्या	रनिंग पे–बैण्ड	पे–बेन्ड	ग्रेड–पे
1.	शासन सचिव	1	37400–67000	IAS PB 4	10000
2.	विशिष्ठ शासन सचिव	1	37400–67000	IAS PB 4	8900
3.	शासन संयुक्त सचिव	1	37400–67000	PB 4	8700
4.	वित्तीय सलाहकार	1	37400–67000	PB 4	8700
5.	सहायक आयुक्त एवं पदेन शासन सहायक सचिव	1	15600–39100	PB 3	6000
6.	लेखाधिकारी	2	15600–39100	PB 3	5400
7.	विशेषाधिकारी	2	15600–39100	PB 3	6600
8	निजी सचिव	1	15600–39100	PB 3	6600
9.	प्रोग्रामर	1	15600–39100	PB 2	5400
10.	सांख्यिकी अधिकारी	1	9300–34800	PB 2	4800
11.	सहायक लेखाधिकारी	1	9300–34800	PB 2	4800
12.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	9300–34800	PB 2	4200
13.	प्रशासनिक अधिकारी	1	9300–34800	PB 2	4200
14.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	2	9300–34800	PB 2	3600
15.	सहायक लेखाधिकरी द्वितीय	32	9300–34800	PB 2	4200
16.	कनिष्ठ लेखाकार	4	9300–34800	PB 2	3600
17.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	9300–34800	PB 2	5400
18.	निजी सहायक	1	9300–34800	PB 2	4200
19.	शीघ्र लिपिक	2	9300–34800	PB 1	3600
20.	लिपिक ग्रेड I	42	5200–20200	PB 1	2800
21.	लिपिक ग्रेड II	20	5200–20200	PB 1	2400
22.	मशीन मैन	1	5200–20200	PB 1	1750
23.	जमादार	3	5200–20200	PB 1	1900
24.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9	5200–20200	PB 1	1700

परिशिष्ट–4

राजस्थान राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

1.	मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2.	जल संसाधन मंत्री	सदस्य
3.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री	सदस्य
4.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री	सदस्य
5.	स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री	सदस्य
6.	कृषि तथा पशुपालन मंत्री	सदस्य
7.	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री	सदस्य
8.	मुख्य सचिव	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नोट :

1. प्राधिकरण, विशेष परिस्थितियों में, यदि ऐसा आवश्यक समझा जावे, तो किसी मंत्री या राज्य मंत्री, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
2. जब कभी वांछनीय समझा जावे, राज्य प्राधिकरण उसके कृत्यों में सहायता के लिये राज्य कार्यकारी समिति के किसी सदस्य को आमंत्रित कर सकेगा।
3. राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज्य प्राधिकरण का पदेन अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।
4. राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी एक सदस्य को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगा।

परिशिष्ट–5

राजस्थान राज्य कार्यकारिणी समिति, आपदा प्रबन्धन
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	सदस्य
3.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग	सदस्य
5.	शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	सदस्य

नोट : राज्य कार्यकारिणी समिति, जब कभी अध्यक्ष द्वारा अपेक्षित हो, किसी प्रमुख सचिव या सचिव को उसके कर्तव्य के निर्वहन में सहायता के लिये विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगी।

परिशिष्ट–6

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	जिला प्रमुख, जिला परिषद	सह अध्यक्ष
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
4.	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5.	जिले के लोक निर्माण विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
6.	जिले के जल संसाधन विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
7.	अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सहायता अनुभाग)	सदस्य

प्राधिकरण के निम्नलिखित, स्थाई आमंत्रित होंगे :–

1. जिले के निर्वाचित संसद सदस्य, लोक सभा
2. जिले के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा सदस्य
3. जिले में पदस्थापित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चिकित्सा विभाग और पशुपालन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी
4. जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, विशेष परिस्थितियों में, यदि वह आवश्यक समझें, तो किसी भी व्यक्ति को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।

परिशिष्ट–7

वित्तीय वर्ष 2014–15 में खोज एवं बचाव (Search & Rescue) मद में स्वीकृत राशि का विवरण

क्र. सं.	नाम विभाग	प्रशासनिक स्वीकृति सं. एवं दिनांक	राशि लाखों में	कार्य
1.	महानिरीक्षक आरएसी, जयपुर	एफ 8 (6)आप्रएवं सहा/आप्र/10/ SAR/3767.74 दिनांक 13.05.2014	707.30	राज्य आपदा प्रतिसाद दल (SDRF)की यूनिट कोटा, जयपुर, जोधपुर एवं एक प्रशिक्षण केन्द्र के लिये उपकरणों बाबत
2.	जल संसाधन विभाग	एफ 8 (4)आ.प्र. एवं सहा./आप्र./ 20132/182.85 दिनांक 06.01.2015	62.57	जिला कलेक्टरों को पम्पसेट क्रय हेतु
			769.87	

परिशिष्ट–8

क्षमता संवर्धन योजना में वर्ष 2014–15 में स्वीकृत राशि

क्र. सं.	नाम विभाग	विवरण	राशि (लाखो में)
1.	पर्यटन विभाग (मेला प्राधिकरण)	धार्मिक संस्थानों, मठाधीशों, कार्यक्रम संचालकों, टेन्ट हाऊस मालिकों, मेला आयोजकों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण	5.00
2.	पशुपालन	वेट्स एवं पैरावेट्स के प्रशिक्षण हेतु	28.00
3.	उद्योग	औद्योगिक एवं रसायनिक आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण	10.00
4.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ को प्रशिक्षण	10.00
5.	कारखाना एवं बॉयलर्स	औद्योगिक एवं रसायनिक आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण	10.00
6.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	सिविल अभियंताओं, रजिस्टर्ड ठेकेदारों को भूकम्परोधी निर्माण बाबत प्रशिक्षण	10.00
7.	समस्त नोडल विभाग (प्रत्येक विभाग 1.00 लाख)	आपदा प्रबंधन की राज्य स्तरीय प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजन हेतु	12.00
8.	खान विभाग	औद्योगिक एवं रसायनिक आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण	10.00
9.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर	भूकम्प जोन III, IV के जिलों में स्कूल सेफ्टी कार्यक्रम प्रशिक्षण	12.00
10.	एच.सी.एम.रीपा, जयपुर	विभिन्न आपदाओं के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन हेतु	90.00
11.	जिला कलेक्टर्स–31 (जयपुर एवं कोटा के अतिरिक्त)	तहसील एवं गांवों की आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु	112.30
12.	महानिरीक्षक, पुलिस (प्रशिक्षण)	तैराकी प्रशिक्षण हेतु	2.59
13.	जिला कलेक्टर अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़ (जिला आपदा प्रबंधन योजना हेतु 3.20 लाख प्रत्येक)	जिला आपदा प्रबंधन योजना हेतु	9.60
14.	जिला कलेक्टर अलवर, चूरू, पाली, टोंक, झालावाड़ (जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हेतु खोज एवं बचाव उपकरण क्रय 1.50 लाख प्रत्येक)	खोज एवं बचाव उपकरण क्रय हेतु	7.50
15.	जिला कलेक्टर अजमेर (संभाग जिला मुख्यालय पर प्रशिक्षण हेतु)	प्रशिक्षण कार्यक्रम	1.50
16.	जिला कलेक्टर अजमेर, चूरू, धौलपुर, जालौर (जिला परिषद के माध्यम से पंचायती राज कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रत्येक जिला 0.50 लाख एवं जालौर को 0.37 लाख)	पंचायती राज कर्मचारियों को प्रशिक्षण	1.87

17.	जिला कलेक्टर चूरू ओरिएण्टेशन वर्कशॉप हेतु 1.00 लाख	ओरिएण्टेशन वर्कशॉप	1.00
18.	जिला कलेक्टर भरतपुर ओरिएण्टेशन वर्कशॉप हेतु 1.00 लाख	ओरिएण्टेशन वर्कशॉप	1.00
19.	जिला कलेक्टर भरतपुर (जिला परिषद के माध्यम से पंचायती राज कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रत्येक जिला 0.50 लाख)	पंचायती राज कर्मचारियों को प्रशिक्षण	0.50
20.	जिला कलेक्टर भरतपुर (जिला आपदा प्रबंधन योजना हेतु 3.20 लाख)	जिला आपदा प्रबंधन योजना हेतु	3.20
21.	जिला कलेक्टर भरतपुर (जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर हेतु खोज एवं बचाव उपकरण क्रय 1.50 लाख)	खोज एवं बचाव उपकरण क्रय हेतु	1.50
22.	जिला कलेक्टर सीकर (जिला आपदा प्रबंधन योजना हेतु 3.20 लाख)	जिला आपदा प्रबंधन योजना हेतु	3.20
23.	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, जोधपुर (सेन्टर फोर रोड़ सेफ्टी)	सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षा अन्तर्गत आपदा प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षित किए जाने एवं जन जागरूकता अभियान हेतु	50.00
24.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम	विभिन्न अधिकारियों/अभियंताओं को आपदा प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षण हेतु	10.50
25.	जल संसाधन	विभिन्न अधिकारियों/अभियंताओं को आपदा प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षण हेतु	16.75
26.	गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा	गृहरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के वोलिन्टयर्स को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण हेतु	25.00
27.	एच.सी.एम.रीपा, जयपुर	विभिन्न आपदाओं के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन हेतु	36.50
		योग	481.51

परिशिष्ट–9

POSITION OF SDRF/NDRF

As on 31-12-2014 **(Rs.in Crore)**

Funds	**CRF/NCCF**	**CRF/NCCF**	**CRF/NCCF**	**SDRF/NDRF**	**SDRF/NDRF**	**SDRF/NDRF**	**SDRF/NDRF**	**SDRF/NDRF**
	2007-08	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
(A) CRF/SDRF								
Opening Balance	-	95.83	71.99	208.01	4.64	570.20	1141.99	999.22
Central Share	257.35	360.87	378.90	450.50	473.02	496.67	521.50	547.58
State Share	85.78	120.29	126.30	150.16	157.67	165.55	173.83	182.52
Receipt from Interest	-	14.31	-	-	24.60	65.47	75.02	20.95
Advance receipt against the forth coming financial year	-	-	-	-	-	-	-	-
Funds transferd by State Govt. in SDRF	-	-	-	-	-	101.90	0.53	-
Total Funds Available under CRF	343.13	591.30	577.19	808.67	659.93	1399.79	1912.87	1750.27
Expenditure	**247.30**	**519.31**	**383.52**	**804.03**	**89.73**	**257.80**	**913.65**	**894.96** (upto Dec.14)
Closing Balance	**95.83**	**71.99**	**193.67**	**4.64**	**570.20**	**1141.99**	**999.22**	**855.31**
(B) NCCF/NDRF								
Opening Balance	459.45	459.45	459.45	69.60	69.60	69.60	69.60	69.60
Receipts	-	--	115.12	-	-	-	-	-
Total Fund Available under NCCF	-	-	574.57	69.60	69.60	69.60	69.60	69.60
Allotment Made	-	-	504.97	-	-	-	-	-
Closing Balance	459.45	459.45	69.60	69.60	69.60	69.60	69.60	69.60
Total Funds available Under SDRF& NDRF(A+B)	**555.28**	**531.44**	**263.27**	**74.24**	**639.80**	**1,211.59**	**1,068.82**	**924.91**

परिशिष्ट–10

Capacity Building For Disaster Response

-

(Rs.in Crore)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि
2010–11	–	6.00	6.00	–
2011–12	–	6.00	3.47	2.53
2012–13	2.53	6.00	2.50	6.03
2013–14	6.03	–	1.11	4.92
2014–15	4.92	–	1.75	3.17

परिशिष्ट–11

वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–2014 एवं वर्ष 2014–2015 में अकाल राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

गतिविधि का विवरण	2012–2013	2013–2014	2014–2015 (31.10.14 तक)
1. अनुग्रह सहायता	109.11	332.83	146.52
2. पीने के पानी की आपूर्ति	225.86	552.28	759.90
3. चारा परिवहन	(-) 0.30	246.22	14.18
4. पशु पोषण केन्द्र	-	640.53	(-) 0.10
5.पशु शिविर/गौशाला	11.27	2182.52	5980.93
6. पशु चिकित्सा	-	(-) 0.01	-
7 दवाओं की पूर्ति	-	-	-
8. अन्य विशेष राहत कार्य	(-) 2.72	(-) 0.24	(-) 1.20
9. अग्नि सहायता	505.57	453.77	343.91
10.सर्च एवं रेस्क्यू एव प्रशिक्षण	1435.16	34.56	374.85
11.कृषि आदान अनुदान	10881.17	78262.15	38667.03
12.अन्य सहायता	(-) 11.15	(-) 3.69	-
योग	**13,153.97**	**82,700.92**	**46,286.02**

परिशिष्ट–12

वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

क्र. स.	गतिविधियाँ	वर्ष		
		2012–13	2013–14	2014–15 (31.12.14 तक)
1.	आनुग्रहिक राहत	20.52	2.14	0.37
2.	पीने के पानी की आपूर्ति	-	-	-
3.	पशु चिकित्सा	28.83	-	-
4.	सड़कों की मरम्मत	2086.91	1104.51	-
5.	बिजली पुनरूद्धार	-	-	-
6.	सर्च, रेसक्यू एवं संचार आदि उपाय एव उपकरणों का क्रय	1361.57	445.61	163.31
7.	प्रशिक्षण	(-)1.23	-	-
8.	खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत	-	-	-
9.	खराब जल पूर्ति, जल निकासी एवं जल मल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना	35.45	26.27	40.38
10.	शोकार्त परिवारों को सहायता	137.67	54.09	55.72
11.	घरों की मरम्मत	1016.49	646.34	790.67
12.	ओलावृष्टि से प्रभावितों को कृषि आदान अनुदान	1862.61	5,928.08	41,642.19
13.	डिसिल्टिंग	-	-	-
14.	पशु धन क्रय के लिये किसानों को सहायता	4.07	1.10	2.06
15.	खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी कार्य	980.81	456.68	515.30
16.	नगर निगम को सहायता	-	-	-
17.	नगर पालिका / परिषदों को सहायता	-	-	-
18.	पंचायत समिति / जिला परिषदों को सहायता	-	-	-
19.	मानवीय दवाइयों की आपूर्ति	-	-	-
20.	परिचालन लागत	-	-	-
21.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	-	-	-
22.	अन्य सहायता (कृषि आदान अनुदान)	5092.73	-	-
	योग	**12,626.43**	**8,664.82**	**43,210.00**

परिशिष्ट–13

List of Nodal Departments

S.No.	**Name of Nodal Department**	**Related Disaster**
1.	Disaster management & Relief	Droughts, Hailstorms, Heat Wave, Thunder & Lightening, Cyclones,
2.	Energy	Disasters involving power generation/ distribution/transmission
3.	Home	Terrorist attack, Police Mutiny, Major Law & Order crisis, Nuclear, Chemical Biological & Meteorological disaster/Air, Road and Rail Accidents, Festival related disaster,
4.	Water Resources	Flood and Drainage Management, Dam Bursts & Cloudbursts
5.	PWD	Earthquake, Major Building Collapse, Landslides
6.	Mines	Mine Fire and Mine Flooding
7.	Industries	Chemical & Industrial Disasters
8.	UDH	Urban Fires Oil Spill
9.	Revenue	Village Fire and Boat Capsizing
10.	Forests	Forest-Fire
11.	Medical & Health	Biological and Epidemic, Food Poisoning
12.	Agriculture	Pest Attack, Frost & Cold Wave
13.	Animal Husbandry	Cattle Epidemics

EXTENT OF SCARCITY(Kharif)

Rabi Crop Samvat 2070

S. No.	DISTRICT	Total Villages	No. of affected Villages	Population affected (lacs)	Total Geographical area (lac ha.)	Area of affected villages			Affected Villages			Production (in MT)	Value of Damaged Crops (Lacs Rs)	Land Rev. of affected villages (Rs)	Likely Suspended of Land Rev. (Rs)	Total Cattle Populatiion (In Lac)	Affected Cattle (In Lac)
						Cultivable (lac ha.)	Sown (lac ha.)	Damaged (lac ha.)	50-74%	75-100%	Less Than 50%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ajmer	1136	104	2.05		0.70	0.56	0.42	40	64	0		6322.00	421392	421392	8.94	0.00
2	Alwar		2	0.02	0.01	0.004	0.004	0.004	0	2	0	5012.0	5012.00	7373	28896	0.16	0.16
3	Banswara	1518	1501	17.90	0.45	2.86	2.27	1.5	1096	405	17	83079.0	26333.00	1012264	1012964	13.33	13.32
4	Baran		482	5.53	3.26	1.73	1.59	0.94	482	0	43		33594.73	1880523	1813328	3.85	3.61
5	Barmer	2555	1507	24.94	26.49	22.73	15.52	8.01	1158	349	1048	890526.0	45672.77	195215	8803	44.25	26.12
6	Bikaner	951	339	4.83		25.97	15.92	7.37	243	96	612	427327.0	7368.47	524315	407072	24.46	8.28
7	Bundi	891	6	0.08	0.07	0.03	0.01	0.01	6	0	0	1394.5	324.64	7382	7169	0.15	0.15
8	Churu	912	16	0.20	0.19	0.18	0.08	0.05	16	0	0	1635.0	67126.00	37073		0.26	0.26
9	Dungarpur	986	986	12.34	3.86	1.82	1.33	0.85	986	0	0	48572.0	848.63	221397	129362	11.12	11.12
10	Jaisalmer	830	744	5.05		25.24	6.64	4.94	209	535	86		41029.00	145529	145529	18.81	17.00
11	Jhalawar	1525	1072	12.85	6.10	3.49	3.21	1.47	1072	0	296	126764.7	24432.98	1013957	282463	13.19	4.69
12	Jodhpur	1882	868	30.74	23.80	17.31	9.62	4.64	566	302	1014	187339.1	25077.94	602415		16.55	8.97
13	Kota	953	281	8.47	4.44	2.73	2.28	0.98	255	26	518	74280.0	32703.00	3669054	986959	5.58	2.78
14	Nagaur	1624	103	1.34	1.34	1.23	1.09	0.64	103	0	1521	22393.0	6669.20			1.37	0.43
15	Pali		934	19.45	12.33	8.53	5.59	3.96	541	393	118	101254.4	58756.10	4580720	4580720	7.14	6.06
16	Pratapgarh	1008	1008	8.68	4.12	1.98	1.80	1.09	1008	0	0	124828.0	117109.00	869755	319453	5.77	5.77
17	Sirohi	505	272	4.91	5.18	2.29	1.61	1.00	0	272	131	59358.0	15869.20	774262		8.29	4.68
Grand Total		**17276**	**10225**	**159.38**	**91.64**	**118.824**	**69.124**	**37.874**	**7781**	**2444**	**5403**	**2153762.7**	**518248.66**	**15963326**	**10144110**	**183.22**	**113.40**

परिशिष्ट–14(ब)

EXTENT OF SCARCITY(RABI)

SAMVAT 2070

S. No.	DISTRICT	Total Villages	No. of affected Villages	Population affected (lacs)	Total Geographical area (lac ha.)	Area of affected villages			Affected Villages		Production (in MT)	Value of Damaged Crops (Lacs Rs)	Land Rev. of affected villages (Rs)	Likely Suspended of Land Rev. (Rs)	Total Cattle Populatiion (in Lac)	Affected Cattle (in Lac)
						Cultivable (lac ha.)	Sown (lac ha.)	Damaged (lac ha.)	50-74%	75-100%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
1	Ajmer	1136	42	5.38	4.49	1.74	1.37	0.23	40	2	87691	4970	373658	185482	5.86	0.26
2	Alwar	2070	100	1.85	0.47	0.35	0.32	0.24	19	81	67334	49451	244291	244291	1.12	1.04
3	Baran	1246	507	10.47	6.83	3.53	3.33	1.63	432	75	594868	79291	1083659	980886	6.47	0.54
4	Bharatpur	1505	33	0.68	0.13	0.10	0.09	0.06	11	22	23210	4933	101991	101991	0.28	0.28
5	Bhilwara	1851	3	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2	240	37	2203	2203	0.01	0.01
6	Bikaner	951	24	0.59	0.71	0.66	0.06	0.04	12	12	5985	2464	73658	73658	0.82	0.00
7	Bundi	891	35	0.3	0.12	0.10	0.09	0.07	11	24	23382	4030	132257	132257	0.26	0.26
8	Chittorgrarh	1751	177	1.53	0.79	0.43	0.29	0.16	162	15	31696	1908	244916	237009	1.47	1.47
9	Churu	912	13	0.40	0.31	0.28	0.16	0.10	2	11	1090	1002	0	0	0.44	0.44
10	Dausa	1098	106	0.87	0.27	0.18	0.15	0.14	17	89	48000	8198	126947	126947	0.71	0.71
11	Ganganagar	3032	75	1.31	0.86	0.76	0.53	0.20	63	12	45047	10721	466147	3543	3.18	0.00
12	Hanumangarh	1914	90	1.61	1.03	0.94	0.54	0.28	47	43	79139	17595	468955	204297	1.23	0.68
13	Jaipur	3018	279	4.24	2.37	1.04	0.76	0.45	178	101	78131	58275	138030654	138030654	4.24	3.75
14	Jhalawar	1625	869	11.88	6.32	3.73	2.93	1.55	860	9	3224141	59059	1248789	392724	8.88	7.66
15	Jhunjunu	952	27	3.10	1.06	0.85	0.58	0.23	0	27	63986	5069	214661	241778	2.10	0.95
16	Jodhpur	1875	2	0.12	0.10	0.07	0.05	0.00	2	0	20	19	41345	0	0.16	0.16
17	Karauli	893	116	1.86	0.66	0.26	0.21	0.18	36	80	35967	7451	249079	209079	1.47	1.45
18	Kota	953	70	7.93	3.77	2.55	2.36	0.39	66	4	101391	24430	1799215	349897	2.98	0.60
19	Nagaur	1595	36	0.38	0.27	0.18	0.14	0.10	11	25	12904	3481	146198	0	0.36	0.36
20	S.Madhopur	827	210	4.31	2.9	1.14	1.06	0.60	100	110	263482	32772	980226	591906	3.00	2.02
21	Sikar	1177	15	0.24	0.06	0.05	0.04	0.04	3	12	8569	1280	12653	0	0.25	0.25
22	Tonk	1212	47	1.69	0.90	0.69	0.57	0.23	30	17	109820	9129	301044	117041	1.22	0.40
Grand Total		**32484**	**2876**	**60.76**	**34.42**	**19.63**	**15.63**	**6.92**	**2103**	**773**	**4906093**	**385565**	**146342546**	**142008043**	**46.51**	**28.29**

परिशिष्ट–15

Monsoon Rainfall Position (1st June to 30th Sept.2014)

S. No.	District	2012			2013			2014		
		Normal Rainfall	Actual	% Deviation	Normal Rainfall	Actual	% Deviation	Normal Rainfall	Actual	% Deviation
	Ajmer Division									
1.	Ajmer	429.60	591.60	38%	429.60	542.91	26.38%	429-60	527.3	22.7
2.	Bhilwara	580.90	614.60	6%	580.90	667.27	14.87%	580-90	614.9	5.9
3.	Nagaur	348.50	473.60	36%	348.50	468.90	34.55%	348-50	411.0	17.9
4.	Tonk	566.00	598.10	6%	566.00	860.50	52.03%	566-00	707.9	25.1
	Bharatpur Division									
5.	Bharatpur	557.60	682.00	22%	557.60	562.30	0.84%	570-60	439.6	21.2
6.	Dholpur	650.00	776.70	19%	650.00	864.67	33.03%	650-00	491.2	-24.4
7.	Karauli	637.40	771.10	21%	637.40	814.83	27.84%	637-40	516.7	18.9
8.	S.Madhopur	664.00	629.80	-5%	664.00	871.57	31.26%	664-00	621.8	-6.4
	Bikaner Division									
9.	Bikaner	228.70	288.90	26%	228.70	233.03	1.93%	228-70	222.00	-2.9
10.	Churu	313.70	376.40	20%	313.70	406.33	29.53%	313-70	363.00	15.7
11.	Ganganagar	201.40	225.40	12%	201.40	154.22	-23.42%	201-40	259.6	28.9
12.	Hanumangarh	252.50	247.40	-2%	252.50	282.86	12.02%	252-50	273.3	8.02
	Jaipur Division									
13.	Alwar	555.30	606.80	9%	555.30	594.53	7.06%	555-30	387.6	-30.2
14.	Dausa	612.10	809.80	32%	612.10	786.40	28.48%	612-10	591.4	-3.4
15.	Jaipur	524.60	598.50	14%	524.60	573.99	9.42%	524-60	473.60	-9.70
16.	Jhunjhunu	410.00	477.00	16%	410.00	459.43	12.06%	410-00	401.4	-2.1
17.	Sikar	402.50	631.40	57%	402.50	457.00	13.54%	402-50	480.5	19.4
	Jodhpur Division									
18.	Barmer	243.40	224.00	-8%	243.40	416.89	71.28%	243-40	211.1	-13.3
19.	Jaisalmer	158.40	211.00	33%	158.40	210.92	33.15%	158-40	91.5	-42.2
20.	Jalore	394.20	307.00	-22%	394.20	539.00	36.73%	394-20	340.6	-13.6
21.	Jodhpur	274.50	334.20	22%	274.50	487.90	77.74%	274-50	275.5	0.4
22.	Pali	446.70	542.20	21%	446.70	540.00	20.89%	446-70	505.4	13.1
23.	Sirohi	868.60	689.50	-21%	868.60	712.10	-18.02%	868-60	630.6	-27.4
	Kota Division									
24.	Baran	792.20	748.50	-6%	792.20	1535.50	93.83%	792-20	1020.6	28.8
25.	Bundi	655.90	591.90	-10%	655.90	876.33	33.61%	655-90	684.7	4.4
26.	Jhalawar	855.10	736.30	-14%	855.10	1374.06	60.69%	855-10	787.7	-7.9
27.	Kota	746.30	638.20	-14%	746.30	1171.25	56.94%	746-30	718.8	-3.7
	Udaipur Division									
28.	Banswara	831.80	1156.90	39%	831.80	1019.21	22.53%	831-80	646.1	-22.3
29.	Chittorgarh	709.70	790.00	11%	709.70	926.00	30.48%	709-70	786.4	10.8
30.	Dungarpur	637.80	946.40	48%	637.80	873.42	36.94%	637-80	599.2	-6.1
31.	Pratapgarh	845.80	968.60	15%	845.80	1183.20	39.89%	845-80	706.6	-16.5
32.	Rajsamand	506.00	569.50	13%	506.00	646.14	27.70%	506-00	531.4	5.0
33.	Udaipur	591.30	671.00	13%	591.30	758.90	28.35%	591-30	474.0	203.8
Avr. Rajasthan		**530.10**	**617.90**	**17%**	**530.08**	**692.72**	**30.68%**	**530-08**	**518.7**	**-2.1**

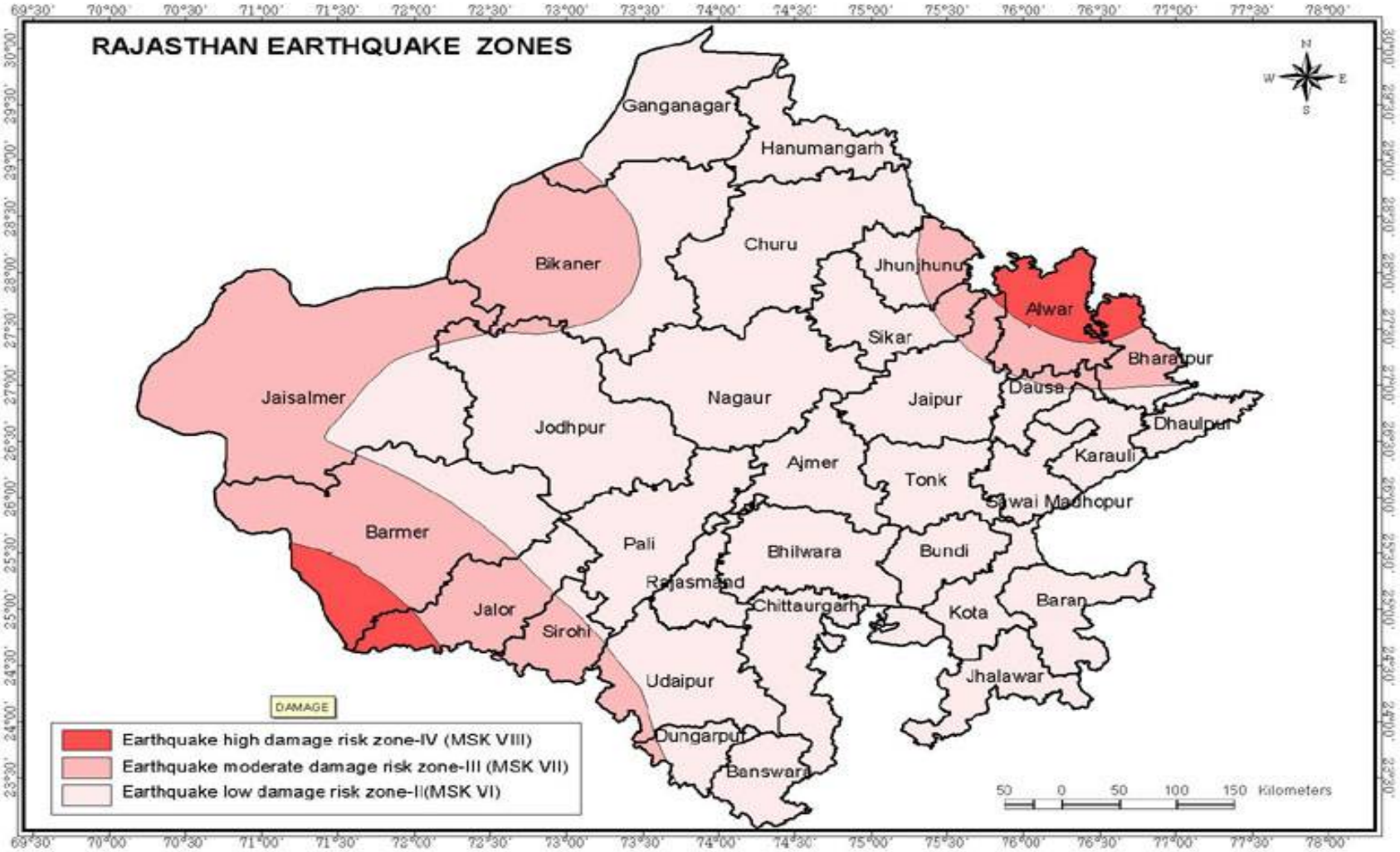

Disclaimer : All efforts have been made to make this image accurate. However UNDP do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. Source: Bureau of Indian Standards, IS 1893 (Part 1): 2002

परिशिष्ट–17

District wise Drought Frequency in Rajasthan

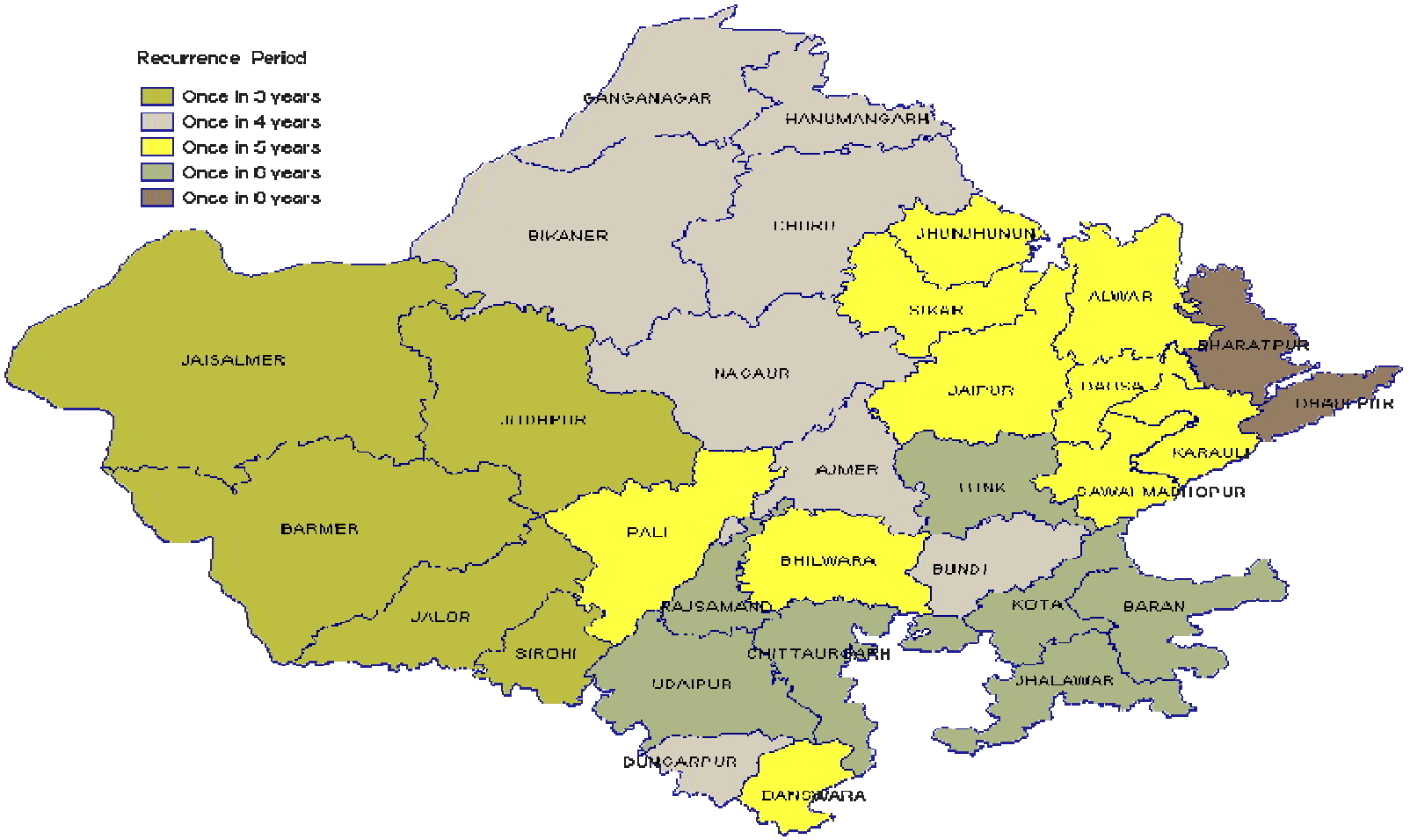

परिशिष्ट–18

सं.32–3/2012–एन.डी.एम.–I
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(आपदा प्रबन्धन प्रभाग)

हॉल–'सी', तीसरा तल, एन डी सी सी–II
जयसिंह रोड, नई दिल्ली – 110001

दिनांक : 28 नवम्बर, 2013

सेवा में

1. सभी राज्यों के मुख्य सचिव
2. राहत आयुक्त/सचिव, सभी राज्यों के आपदा प्रबन्धन विभाग

विषय : वर्ष 2010–2015 तक की अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) से सहायता की मदें और मानदण्ड

महोदय/महोदया,

मुझे निर्धारित प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.)/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) से सहायता की संशोधित मदों तथा मानदण्डों की सूची के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 16 जनवरी 2012 के पत्र सं. 32–7/2011–एन डी एम–I का हवाला देने का निर्देश हुआ है।

2. अब क्रम सं. 9 (a) और (iii) अर्थात ''मवेशी शिविरों (कैटल कैम्पों) में चारे/फीड कंसंट्रेट दाने का प्रावधान'' से संबंधित मानदण्डों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार पूर्व प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा (i) ''सहायता की चूक अवधि 30 दिन है जिसे बढ़ाकर 60 दिन तक किया जाए तथा भीषण सूखा की स्थिति में जिसे 90 दिन तक किया जा सकता है''। (ii) 90 दिन के बाद संबंधित राज्य सरकार को इस स्थिति का प्रशमन करने के लिये संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और योजना आयोग के साथ एक अलग योजना तैयार करनी चाहिये। यह आशोधन भविष्यलक्षी रूप में तत्काल प्रभाव से प्रवृत होगा।

3. संशोधित मदों और मानदंडों को गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग की वेबसाइट अर्थात~ www-ndmindia.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

4. तदनुसार, निर्धारित प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राज्य आपदा मोचन निधि /राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से आशोधित/संशोधित मदों और मानदण्डों की प्रति संलग्न है।

5. यह इस विषय पर इस मंत्रालय के पूर्व पत्रों का अधिक्रमण करता है, पिछला पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2012 का है जिसकी संख्या सं.32–3/2013–एन.डी.एम.–I है।

भवदीय
ह.
(गोतम घोष)
उप शासन सचिव
टेलीफैक्स : 23438123

संलग्नक : यथोपरि अनुलग्नक

राज्य आपदा कार्रवाई कोष (एस.डी.आर.एफ.) और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष (एन.डी.आर.एफ.) से सहायता देने की मदों और मानदंडों की संशोधित सूची (अवधि 2010–15, दिनांक 28 सितम्बर, 2012 पत्र सं.32–3/2012–एन.डी.एम.–I के तहत आशोधित गृह मंत्रालय का दिनांक 16 जनवरी, 2012 का पत्र संख्या सं.32–7/2011–एन.डी.एम.–I)

क्र.सं.	मद	सहायता के मानदण्ड
1.	आनुग्रहिक राहत	
	(क) मृतकों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान।	प्रत्येक मृतक के लिये 1.50 लाख रु.। इसमें वे भी शामिल हैं जो राहत प्रचालनों में शामिल हैं अथवा तैयारी संबंधी कार्यकलापों से संबद्ध है, यह उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मृत्यु के कारण संबंधी प्रमाण के अध्यधीन हैं। – विदेश में अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण किसी भारतीय नागरिक की मृत्यु के मामले में, उसके परिवार को यह राहत नहीं दी जाएगी। – भारत के राज्य क्षेत्र में अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण किसी विदेशी नागरिक की मृत्यु के मामले में उसके परिवार को भी यह राहत नहीं दी जाएगी।
	(ख) शरीर के किसी अंग (लिंब) अथवा आँख/आँखों की हानि होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान	प्रति व्यक्ति 43,500 रु., जब अपंगता 40: और 80: के बीच हो। प्रति व्यक्ति 62,000 रु., जब अपंगता 80: और 80: से अधिक हो। अपंगता की सीमा और उसके कारण के संबंध में सरकारी अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी के डाक्टर द्वारा किए गए प्रमाणन के अध्यधीन।
	(ग) ऐसा गहरा जख्म जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है	प्रति व्यक्ति 9300 रु., एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर। प्रति व्यक्ति 3100 रु., एक सप्ताह से कम अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर।
	(घ) किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जिनके घर पानी में बह गए हैं/पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं/ एक सप्ताह से अधिक से पानी में डूबे हुए हैं, उन परिवारों के लिए कपड़े और बर्तन/घरेलू सामान	1300 रु. प्रति परिवार, कपड़ों की हानि के लिए। 1400 रु. प्रति परिवार, बर्तनों/घरेलू सामान की हानि होने के लिए।
	(ड़) ऐसे परिवार जिन्हें आपदा के बाद तत्काल निर्वाह एवं संपोषण हेतु आहार की घोर आवश्यकता है, को आनुग्रहिक राहत। आनुग्रहिक राहत उन लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी जिनके पास खाद्य भंडार नहीं है, अथवा जिनका खाद्य भंडार आपदा में बह गया है और जिनके पास सहायता के कोई अन्य तत्काल साधन नहीं है।	40 रु. प्रति वयस्क और 30 रु. प्रति बालक/बालिका, उनके लिए जिन्हें राहत कैम्पों में आश्रय नहीं मिला है। राज्य सरकार यह प्रमाणित करेगी कि (i) इन लोगों के पास कोई खाद्य भंडार नहीं है, अथवा उनका खाद्य भंडार आपदा में बह गया है और (ii) पहचान किए गए लाभार्थी राहत कैंपों में नहीं रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार जिला–वार इन लाभार्थियों तक पहुचाने के लिए आधार और प्रक्रिया उपलब्ध कराएगी। आनुग्रहिक राहत उपलब्ध कराने की अवधि राज्य कार्यकारी समिति (एस ई सी) और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) द्वारा किए गए आकलन के अनुसार होगी। सहायता की चूक अवधि 30 दिन की होगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर पहले 60 दिन और तदनन्तर सूखा/कीट हमले के मामले में 90 दिन तक बढ़या जा सकता है।

2.	खोज एवं बचाव अभियान	
	(क) खोज और बचाव उपायों/प्रभावित जिनके प्रभावित होने की संभावना है, उन लोगों को खतरे की संभावना वाले स्थानों से निकालने की लागत।	एस ई सी द्वारा आकलित और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) द्वारा अनुशंसित खर्चे की गई वास्तविक लागत के अनुसार –जब तक केन्द्रीय टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया जाता है ये कार्यकलाप पहले ही खत्म हो जाते हैं। अतः राज्य स्तरीय समिति और केन्द्रीय टीम वास्तविक/लगभग वास्तविक लागतों की सिफारिश कर सकती है।
	(ख) तत्काल राहत पहुचाने और जान बचाने के लिए नौकाएं किराए पर लेना।	–एस ई सी द्वारा आकलित केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) द्वारा अनुशंसित खर्च की गई वास्तविक लागत के अनुसार। –सहायता की मात्रा, किसी अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के दौरान मानव जीवन को बचाने के लिए फंसे हुए लोगों के बचाव के लिए नौकाएं किराए पर लेने और अपेक्षित आवश्यक उपकरणों पर हुए वास्तविक खर्च तक सीमित होगी।
3	राहत उपाय	
	(क) प्रभावित/निकाले गए और राहत कैंपों में आश्रय पाए लोगों के अस्थायी आवास, भोजन, कपड़ों चिकित्सा देखभाल आदि हेतु प्रावधान।	30 दिन की अवधि के लिए, एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टी (एन डी आर एफ के मामले में) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार एस ई सी द्वारा कैंपों की संख्या, उनकी अवधि और कैंम्पों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करना आवश्यक होगा। सूखा अथवा भूकम्प अथवा बाढ़ आदि द्वारा हुई व्यापक तबाही जैसी आपदा के बने रहने की स्थिति में, यह अवधि 60 दिन तक और गंभीर सूखे के मामले में 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) द्वारा चिकित्सा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।
	(ख) हवाई जहाज से आवश्यक वस्तुएं गिराना	एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) की अनुशंसा के आधार पर वास्तविक लागत के अनुसार –सहायता की मात्रा, रक्षा मंत्रालय द्वारा अनिवार्य वस्तुओं को हवाई जहाज से जमीन पर गिराने संबंधी बिलों में दर्शाई गई वारस्तविक राशि और बचाव अभियानों तक ही सीमित होगी।
	(ग) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपातकालीन आपूर्ति का प्रावधान	एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) की अनुशंसा के आधार पर वास्तविक लागत के अनुसार 30 दिन की अवधि के लिए जिसे सूखे के मामले में 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है।
4.	प्रभावित क्षेत्रों की सफाई	
	(क) सार्वजनिक क्षेत्रों में मलबा हटाना	एस डी आर एफ के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता क लिए एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन के आधार पर और एन डी आर एफ के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता के लिए केन्द्रीय टीम के आकलन के अनुसार कार्य आरंभ होने की तारीख के 30 दिन के भीतर वास्तविक लागत के अनुसार।
	(ख) प्रभावित क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी	एस डी आर एफ के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता के लिए एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन के आधार पर और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) के आकलन के अनुसार कार्य आरंभ होने की तारीख से 30 दिन के भीतर वास्तविक लागत के अनुसार।

	(ग) शवों का निस्तारण	वास्तविक लागत के अनुसार, जो एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) की अनुशंसा पर आधारित है।
5.	कृषि	
(i)	छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता	
क	भूमि और अन्य नुकसान के लिए सहायता	
	(क) कृषि भूमि से गाद निकालना (जहां पर रेत/ गाद निक्षेप की मोटाई 3'' से अधिक है, जिसे राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)	प्रत्येक मद के लिए 8,100/– रु. प्रति हैक्टेयर
	(ख) पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि से मलबा हटाना।	(इस शर्त के अधीन कि लाभार्थी द्वारा कोई अन्य सहायता/सब्सिडी प्राप्त नहीं की गई/और न ही वह किसी अन्य सरकारी स्कीम के अंतर्गत इसके लिए पात्र है)
	(घ)भू–स्खलन, नदियों के मार्ग बदलने के कारण हुई पर्याप्त भू–भाग की हानि।	25,000 रु. प्रति हैक्टेयर केवल उन छोटे और सीमान्त किसानों को जिनकी भूमि का स्वामित्व राजस्व अभिलेखों के अनुसार वैध है।
ख	इनपुट सब्सिडी (जहां पर फसलों का नुकसान 50% और उससे अधिक है)	
	(क) कृषि फसलों, बागवानी फसलों और वार्षिक फसलों के लिए	4500/– रु. प्रति हैक्टेयर वर्षा सिंचित क्षेत्रों में। 9000/– रु. प्रति हैक्टेयर जो आश्वासित सिंचित क्षेत्रों में, न्यूनतम सहायता, जो 750 रु. से कम नहीं हो, के अध्यधीन होगी और बुवाई क्षेत्रों तक सीमित होगी।
	(ख) बारहमासी फसलें	12,000/– रु. प्रति हैक्टेयर सभी प्रकारी की बारहमासी फसलों के लिए जो बुवाई किए जा रहे क्षेत्रों और न्यूनतम सहायता जो 1500 रु. से कम नहीं, के अध्यधीन होगी।
	(ग) रेशम उत्पादन	3,200/– रु. प्रति हैक्टेयर, ईरी, मलबेरी, टुसार के लिए।
		4000/– रु. प्रति हैक्टेयर, मूगा के लिए।
(ii)	छोटे और सीमांत किसानों के अतिरिक्त अन्य किसानों को इनपुट सब्सिडी	4500/– रु. प्रति हैक्टेयर, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में। 9000/– रु. प्रति हैक्टेयर, आश्वासित सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए। 12,000/– रु. प्रति हैक्टेयर, सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए। जहां पर फसल की हानि 50% और इससे अधिक है वहां पर 1 हैक्टेयर प्रति किसान की सीमा तक और जोत का आकार बड़ा होने पर भी उस पर ध्यान दिए बिना क्रमिक आपदाओं के मामले में 2 हैक्टेयर प्रति किसान, की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।
6	पशुपालन – छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता	
	(i) दुधारु पशुओं, गैर–दुधारू पशुओं अथवा ढुलाई के लिए	**दुधारू पशु –** 16,400 रु. – भैंस/गाय/ऊँटणी/याक आदि

	उपयोग किए जाने वाले पशुओं की भरपाई।	1650 रु. भेड़/बकरी **गैर–दुधारू पशु –** 15000 रु. – ऊँट/घोड़ा/बैल आदि 10,000 रु. बछड़ा/गधा/टट्टू/खच्चर – सहायता आर्थिक रूप से उत्पादक पशुओं की वास्तविक हानि तक सीमित हो सकती है और यह इस बात पर ध्यान दिए बिना कि किसी घर में अधिक पशुओं का नुकसान हुआ है, प्रत्येक घर के लिए एक बड़े दुधारू पशु अथवा 4 छोटे दुधारू पशुओं अथवा 1 बड़े गैर–दुधारू पशु अथवा 2 छोटे गैर–दुधारू पशुओं की सीमा के अध्यधीन होगी। (राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा नुकसान प्रमाणित किया जाएगा) मुर्गीपालन :– प्रति लाभार्थी परिवार को 400/– रु. की सहायता के अध्यधीन मुर्गीपालन हेतु प्रति पक्षी 37/– रु.। मुर्गीपालन में पक्षियों की मृत्यु प्राकृतिक आपदा के कारण होनी चाहिए। टिप्पणी : यदि सहायता किसी अन्य सरकारी स्कीम, अर्थात् एवियन इन्फ्लुएंजा अथवा किसी अन्य बिमारी के कारण हुए पक्षियों के नुकसान, से उपलब्ध होती है जिसके लिए पशुपालन विभाग के पास पोल्ट्री मालिकों की क्षतिपूर्ति हेतु कोई अलग स्कीम है तो इन मानदण्डों के अंतर्गत राहत हेतु पात्रता नहीं होगी।
	(ii) पशु कैंपों में चारे / फीड कन्सन्ट्रेट का प्रावधान	बड़े पशु – 50 रु. प्रति दिन छोटे पशु – 25 रु. प्रति दिन राहत मुहैया कराने की अवधि एस ई सी द्वारा आवश्यकता आकलन और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) की सिफारिश के आधार पर होगी। सहायता के लिए चूक अवधि 30 दिन तक होगी जिसे पहली बार में 60 दिन तक तथा भीषण सूखा की स्थिति में 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। (संशोधित आदेश दिनांक 28.10.2013
	(iii) पशु कैंपों में जलापूर्ति	राहत मुहैया कराने की अवधि एस ई सी द्वारा आवश्यकता आकलन और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) की सिफारिश के आधार पर होगी। सहायता के लिए चूक अवधि 30 दिन तक होगी जिसे पहली बार में 60 दिन तक तथा भीषण सूखा की स्थिति में 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।
	(iv) दवाइयों और वैक्सीन की अतिरिक्त लागत	वास्तविक लागत के अनुसार, जो पशुधन गणना के अनुसार पशुओं के अनुमान के समानुरूप एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम की सिफारिश (एन डी आर एफ के मामले में) पर आधारित होगी और दवाइयों व वैक्सीन की आवश्यकता आपदा संबंधित है यह सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किए जाने के अध्यधीन है।
	(v) पशु कैंपों से बाहर के पशुओं के लिए चारा ले जाना।	परिवहन की वास्तविक लागत के अनुसार, पशुधन गणना के आधार पर पशुओं के अनुमान के समानुरूप एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम की सिफारिश (एन डी आर एफ के मामले में) पर आधारित है।

7	मछली पालन	
	(i) मछुआरों को क्षतिग्रस्त अथवा गुम हो गई नावों, जालों की मरम्मत/उन्हें बदलने हेतु सहायता। –नाव –डोंगी – बेड़ा – जाल (यदि लाभार्थी किसी अन्य सरकारी स्कीम के अंतर्गत तात्कालिक आपदा हेतु पात्र है अथवा उसने कोई सब्सिडी/सहायता प्राप्त की है तो उसे यह सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी)	3000 रु. केवल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नौकाओं की मरम्मत के लिए। 1500 रु. आंशित रूप से क्षतिग्रस्त जाल की मरम्मत के लिए। 7,000 रु. पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त नौकाओं को बदलने के लिए। 1,850/– रु. पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त जाल को बदलने के लिए।
	(ii) फिश सीड फार्म के लिए इनपुट सब्सिडी	6000 रु. प्रति हैक्टेयर (यदि लाभार्थी पशु पालन, डेयरी और मछली पालन विभाग, कृषि मंत्रालय की स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई एकमुश्त सब्सिडी के अतिरिक्त किसी अन्य सरकारी स्कीम के अंतर्गत तात्कालिक आपदा हेतु पात्र है अथवा उसने कोई सब्सिडी/सहायता प्राप्त की है तो उसे यह सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी)
8	हस्तशिल्प/हथकरघा – शिल्पकारों की सहायता	
	(i) क्षतिग्रस्त औजारों/उपस्करों को बदलने हेतु	उपस्करों के लिए प्रति शिल्पकार 3000 रु. – सरकार द्वारा क्षति और इसकी भरपाई के संबंध में नामित, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन के अध्यधीन।
	(ii) कच्ची सामग्री/कार्य में लगी वस्तुएं/तैयार माल की हानि के लिए	कच्ची सामग्री के लिए प्रति शिल्पकार 3000 रु. – सरकार द्वारा क्षति और इसकी भरपाई के संबंध में नामित, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन के अध्यधीन।
9	आवास	
	(क) पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त/नष्ट हो गए मकान	
	(i) पक्का मकान	70,000 रु. प्रति मकान 75,000 रू. पहाड़ी क्षेत्र के लिए प्रति मकान
	(ii) कच्चा मकान	17,600 रु. प्रति मकान
	(ख) गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मकान	
	(i) पक्का मकान	12,600 रु. प्रति मकान
	(ii) कच्चा मकान	3,800 रु. प्रति मकान
	(ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान– पक्का/कच्चा दोनों	3,800रू. पक्का एवं 2,300 रु. प्रति कच्चा मकान

	(झोंपड़ियों के अतिरिक्त)जहां पर क्षति कम से कम 15ः है।	
	(घ) क्षतिग्रस्त/नष्ट हो गई झौंपड़ियां	3000 रु. प्रति मकान (झौंपड़ी का अर्थ है अस्थाई तौर पर बनाई गई इकाई जो कच्चे मकान से कमजोर होती है, यह घास–फूस, मिट्टी प्लास्टिक की पन्नियां आदि से बनी होती है, राज्य/जिला प्राधिकरणों द्वारा इसे पारंपरिक तौर पर झौंपड़ी के रूप में माना जाता है) टिप्पणी : क्षतिग्रस्त मकान राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित एक अधिकृत निर्माण होना चाहिए।
	(ड़) घरों से लगी हुई कैटल–शैड	1500 रु. प्रति शैड
10	अवसंरचना	
	क्षतिग्रस्त अवसरंचना (तत्काल प्रकृति की मरम्मत/पुनरुद्धार (1)सड़कें एवं पुल (2) पेयजलापूर्ति कार्य, (3) सिंचाई (4) विद्युत (प्रभावित क्षेत्रों में केवल विद्युत पूर्ति की तत्काल बहाली तक सीमित) (5) विद्यालय (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (7) पंचायत के स्वामित्व वाली परिसंपतियां। दूरसंचार और विद्युत (विद्युत पूर्ति की तत्काल बहाली को छोड़कर) जैसे क्षेत्रों, जो स्वयं अपने राजस्व का सृजन करते हैं, और अपनी निधियों/संसाधनों से तत्काल मरम्मत/पुनरुद्धार कार्य भी आरंभ करते हैं, को छोड़ दिया गया है।	तत्काल प्रकृति के कार्यकलाप :– उन कार्यकलापों की निदेर्शी सूचियां, जिन्हें तत्काल उन प्रकृति के कार्य समझा जा सकता है, परिशिष्ट में संलग्न है। आवश्यकता का आकलन :– एस.ई. सी. द्वारा मरम्मत के संबंध में राज्यों की लागत/दरों/ अनुसूचियों के अनुसार आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम (एन.डी.आर.एफ. के मामले में) की अनुशंसा के आधार पर –सड़कों की मरम्मत के संबंध में यातायात की बहाली हेतु भारी वर्षा/बाढ़, चक्रवात, भू–स्खलन, बालू टिब्बों आदि से प्रभावित सड़कों की मरम्मत के लिए समय–समय पर यथा संशोधित, भारत में सड़कों के रख रखाव संबंधी मानदण्ड, 2001 पर उपयुक्त ध्यान दिया जाएगा। संदर्भ के लिए मानदण्ड हैः– ● सामान्य और शहरी क्षेत्र :– साधारण मरम्मत (ओ.आर.) और सर्वाधिक मरम्मत (पी.आर.) के कुल 15ः तक। ● पहाड़ियों :– ओ.आर. और पी. आर. के कुल 20 प्रतिशत तक टिप्पणीः– राज्य नियमित रखरखाव और मरम्मत के लिए बजट के अधीन पहले अपने प्रावधान का उपयोग करेंगे।
11	प्रापण	
	आपदा की अनुक्रिया हेतु संचार उपस्करों सहित अनिवार्य खोज, बचाव व निकास उपस्करों आदि का प्रापण।	– राज्य कार्यकारी समिति (एस ई सी) द्वारा किए गए आकलन के अनुसार व्यय केवल एस डी आर एफ से किया जाएगा (एन डी आर एफ से नहीं) – इस मद पर किया जाने वाल कुल व्यय एस. डी.आर. एफ. के वार्षिक आवंटन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

संलग्नक

(मद संख्या 18 हेतु)

तात्कालिक प्रकृति के कार्यों की चिन्हित सूची

1. पेयजल आपूर्ति

(1) हैंडपम्प/कुआ/स्प्रिंग टैब चेम्बर/पाब्लिक स्टेण्ड पोस्ट, सिस्टर्न के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्म की मरम्मत।

(2) क्षतिग्रस्त स्टेण्ड पोस्ट की पुर्नस्थापना, क्षतिग्रस्त पाईप लेन्थ को नये पाईप से बदलने, जलभण्डारण की सफाइ।, (लीक प्रूफ बनाने हेतु)

(3) क्षतिग्रस्त पम्पिंग मशीन की मरम्मत, ओवरहेड पानी भण्डारण की मरम्मत और पानी के पम्प की मरम्मत, पहुंचने के रास्ते/घाट सहित।

2. मार्ग

(1) मार्ग में आयी दरारों और गढ्ढों का भराव, पानी के रास्तों हेतु पाइप का प्रयोग, किनारों की मरम्मत तथा पत्थर से भराव।

(2) खराब टूटे दरार वाले नालों/पुलिया (कलवर्ट) की मरम्मत।

(3) तात्कालिक सम्पर्क/परिवहन हेतु पानी में बह पुलों/किनारों/तटों का डाइवर्जन द्वारा सम्पर्क प्रदान करना।

(4) पुल/पुल के किनारों/तटों की अस्थाई मरम्मत, क्षतिग्रस्त रेलिंग पुलों की मरम्मत, तत्काल सम्पर्क हेतु क्षतिग्रस्त मार्ग/पहुंचने के रास्ते की मरम्मत, विभिन्न शरणालय/राहत केन्द्र से आपदा क्षेत्र के मध्य सम्पर्क मार्ग की मरम्मत परिवहन की पुनः स्र्थापना हेतु।

3. सिचाई

(1) क्षतिग्रस्त नहर संरचना की तात्कालिक मरम्मत, टैंक, छोटे पानी के भण्डारण में कच्चा (अर्थ) तथा पक्का (सीमेंट) कार्य, सीमेंट, सैन्ड बैग, पत्थर के प्रयोग के साथ।

(2) कमजोर क्षेत्र यथा पाइपिंग, सूक्ष्म दरारों, बांध की दीवार/तटबन्धों की मरम्मत।

(3) नहर/नालों से खरपतवार/भवन निर्माण सामग्री/मलवों को हटाना।

4. स्वास्थ्य

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षतिग्रस्त पहुंच मार्गों, भवनों और विद्युत सप्लाई की मरम्मत।

5. पंचायत की सामुदायिक परिसम्पत्तियां

अ. गांवों की आन्तरिक सम्पर्क मार्गों की मरम्मत।

ब. ड्रेनेज/सीवरेज से मलवे की निकासी।

स. आंतरिक जलापूर्ति पाइपलाइन्स की मरम्मत।

द. स्ट्रीट लाइट की मरम्मत।

य. पंचायतघर, प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक केन्द्र, आंगनबाड़ी आदि की अस्थाई मरम्मत।